ग्राम विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों में ग्रामसभा का हक

आईये जाने अपने हक एवं कर्तव्य

मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियम, 2022

विषय–सूची

1 पेसा कानून का मतलब?

2 मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियम 2022

3 टोले/बसाहटों/फलियों में ग्रामसभा का गठन कैसे करें?

4 अपनी बसाहट को कैसे दिलायें ग्रामसभा की मान्यता?

5 ग्रामसभा की अध्यक्षता कौन करेगा?

6 ग्रामसभा का सचिव?

7 ग्रामसभा की अपनी मुद्रा

8. ग्रामसभा का कार्यालय एवं अभिलेखों का संधारण

9 ग्रामसभा की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण

10 विशेष ग्रामसभा कैसे बुलायें?

11 ग्रामसभा की सूचना

12. ग्रामसभा का कोरम/गणपूर्ति कितना?

13 ग्रामसभा की कार्यवाही

14 ग्रामसभा के निर्णयों पर कार्यवाही कौन करेगा?

15 ग्रामसभा के निर्णयों के विरूद्ध अपील कैसे?

16 ग्रामसभा की शक्तियां

16.1 भूमि प्रबंधन

16.2 भू–अभिलेखों का संधारण

16.3 भू–अर्जन से पूर्व परामर्श

16.4 कपट से अंतरित आदिम जनजाति की भूमि की वापसी

16.5 जल संसाधनों का प्रबंधन

16.5.1 मत्स्य पालन

16.5.2 जल संसाधनों के प्रदूषण की रोंकथाम

16.6 गौण खनिजों पर नियंत्रण

16.7 गौण वनोपज का प्रबंधन

16.8 वनों का संरक्षण

16.9 धन उधार देने पर नियंत्रण

16.10 कर्मचारियों पर नियंत्रण

16.10.1 महिला एवं बाल विकास

16.10.2 अन्य कार्य

16.11 मादक पदार्थों पर नियंत्रण

16.12 श्रमशक्ति की योजना निर्माण

16.13 मजदूरी निर्धारण

16.14 सिंचाई

17 ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियां

18 ग्राम पंचायत की निधि

19 ग्रामसभा की निधि

19.1 ग्रामसभा निधि का संचालन

20 शांति एवं विवाद निवारण समिति

21 संलग्नक

21.1 प्रपत्र–1 ग्रामसभा गठन के प्रस्ताव की सूचना, दावे एवं आपत्ति

21.2 प्रपत्र–2 ग्रामसभा गठन की अधिसूचना

1. पेसा कानून का मतलब?

पेसा (PESA) अधिनियम का पूरा नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 है जिसे अंग्रेजी नाम Panchayat Extension in Schedule Area Act 1996 के नाम से भी जानते है। देश में पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत बनाने भारतीय संसद द्वारा 1992 में संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया था जिसके बाद पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक ताकत एवं दिशा मिली थी। लेकिन चिंता का विषय था कि आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों की परंपराओं एवं संस्कृति को कैसे संरक्षित रखा जाये। 73वे संविधान संशोधन के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के जीने के तरीके, संस्कृति एवं सामाजिक परंपराओं को संरक्षित रखने के लिये संसद द्वारा 1996 में पेसा अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम संविधान में दर्ज पांचवी एवं छठवीं अनुसूची के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों को विशेष अधिकार देता है ताकि न केवल जल, जंगल एवं जमीन से उनके परंपरागत अधिकार, सामाजिक परंपरायें एवं जीने की संस्कृति को बरकरार रखा जा सके बल्कि समुदाय को और ताकत प्रदान करे।

2. मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022

मध्यप्रदेश में पेसा कानून को अधिक स्पष्ट बनाने के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 नवम्बर 2022 को मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 बनाया गया जिसमें ग्रामसभाओं के अधिकार एवं कर्तव्यों को ज्यादा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। आईये जानते है इन नियमों के बारे में और इन्हें अपने ग्राम में लागू करने का प्रयास करते है।

3. टोले/बसाहटों/फलियों में ग्रामसभा कैसे करें?

वैसे तो प्रत्येक राजस्व या वन ग्राम की अपनी ग्रामसभा होती है। लेकिन आप चाहें तो किसी एक ही ग्राम की बसाहट/फलिया या बसाहटों के समूहों में भी अलग ग्रामसभा कर सकते है।

4. अपनी बसाहट को कैसे दिलायें ग्रामसभा की मान्यता?

जिस किसी ग्राम के किसी टोले/फलिया या बसाहट या कुछ बसाहटों के समूहों के लोग चाहते है कि उनकी बसाहट या बसाहटों की अलग ग्रामसभा हो, उन्हें

- सबसे पहले अपनी बसाहट का एक नजरी नक्सा बनाना होगा जिसमें बसाहट की सीमा भी दर्ज करनी होगी।

- अपनी बसाहट को अलग ग्रामसभा बनाने के लिये अपने क्षेत्र के एस.डी.एम. के नाम एक आवेदन बनाना होगा जिसमें बसाहट में रहने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के हस्ताक्षर हों।
- इस आवेदन पत्र में नजरी नक्सा संलग्न कर ग्राम पंचायत के सचिव एवं एस.डी.एम. को देना होगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर अपनी बैठक कर अलग ग्रामसभा का संकल्प पारित करना होगा। अगर ग्राम पंचायत ऐसा करने में अक्षम रहती है तब भी ग्राम पंचायत का सचिव अलग ग्रामसभा के इस आवेदन की सूचना जनपद, एस.डी.एम. एवं कलेक्टर को भेजेगा।
- एस.डी.एम. द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर अलग ग्रामसभा की स्थापना के उद्देश्य से डोंडी पिटवाकर, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रपत्र–1 के अनुसार सूचना करनी होगी ताकि लोग सूचना के एक माह के भीतर दावा–आपत्ति कर सकें। प्रपत्र–1 संलग्न है।
- दावा–आपत्ति की प्रक्रिया के बाद एस.डी.एम. को एक तिथि तय कर अलग ग्रामसभा चाहने वाली बसाहटों में बैठक करनी होगी जिसमें आवेदन में अलग ग्रामसभा की मांग एवं नजरी नक्सा का सत्यापन किया जायेगा। इस बैठक में एस.डी.एम. द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर उक्त बैठक में भेजा जायेगा।
- बसाहट या बसाहटों के लोगों द्वारा अलग ग्रामसभा की मांग करने के 03 माह के भीतर यह प्रक्रिया एस.डी.एम. को पूरी करनी अनिवार्य है।
- 03 माह पूरा होने के बाद अगले माह की पहली तिथि से मांग करने वाली बसाहटों को अलग ग्रामसभा का दर्जा देकर प्रपत्र–2 अनुसार अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। इस प्रकार वह बसाहट अलग ग्रामसभा के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगी।
- अगर एस.डी.एम. 03 माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने में अक्षम रहता है तो जिला कलेक्टर को ऐसा नही कर पाने का कारण सहित प्रतिवेदन देना होगा। जिला कलेक्टर को अधिकार है कि वे एक माह का समय एस.डी.एम. को और प्रदान करें।
- ऐसी गठित ग्रामसभा के अधिकार एवं कर्तव्य अन्य ग्रामसभाओं के अनुरूप होंगे। ग्रामसभा का कार्यालय उसी ग्राम में होगा। अगर कोई शासकीय भवन है तो वहां होगा।

5. ग्रामसभा का अध्यक्ष

- ग्राम पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि ग्रामसभा की अध्यक्षता नही कर सकता।

- ग्रामसभा अपनी बैठक में अपने सदस्यों में से एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चयन करेगी।
- ग्रामसभा द्वारा चुने गये अध्यक्ष का कार्यकाल अगली ग्रामसभा के आयोजन तक रहेगा।

6. ग्रामसभा का सचिव

- ग्राम पंचायत का सचिव ही ग्रामसभा का सचिव होगा।
- अगर किसी आपात कारण से ग्राम पंचायत का सचिव ग्रामसभा में उपस्थित नही हो सका तो ग्रामसभा किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय कर्मचारी को ग्रामसभा का सचिव नियुक्त कर सकती है।
- शासकीय या अशासकीय कर्मी की अनुपस्थिति में ग्रामसभा अपने सदस्यों में से किसी शिक्षित सदस्य को ग्रामसभा का सचिव नियुक्त कर सकती है।

7. ग्रामसभा की अपनी पद मुद्रा

- प्रत्येक ग्रामसभा एक स्वशासी निकाय होगी।
- ग्रामसभा की अपनी एक पदमुद्रा होगी।

8. ग्रामसभा का कार्यालय एवं अभिलेख

- प्रत्येक ग्रामसभा का कार्यालय उसी ग्राम में होगा। अगर ग्राम में कोई शासकीय भवन है तो वहां ग्रामसभा का कार्यालय बनाया जायेगा। निजी भवन में भी ग्रामसभा का कार्यालय बनाया जा सकता है। लेकिन किराये का भुगतान नही किया जायेगा।
- ग्रामसभा की कार्यवाही एवं अन्य अभिलेख इसी कार्यालय में रखा जायेगा। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत में रखी जायेगी।

9. ग्रामसभा की तिथि, समय एवं स्थान

- ग्रामसभा के दो सम्मिलनों के आयोजन के बीच तीन माह से ज्यादा का अंतर नही होगा।
- ग्रामसभा का सम्मिलन ग्राम में ही किसी ऐसे स्थान पर आयोजित किया जायेगा जहां प्रत्येक सदस्य बिना किसी रूकावट के आ सके।
- नियमित अंतराल में ग्रामसभा का आयोजन करने हेतु ग्रामसभा अपना संकल्प पारित कर सकती है। ऐसे सम्मिलन की तिथि, समय व स्थान ग्रामसभा द्वारा स्थायी रूप से तय किया जा सकता है।

10. विशेष ग्रामसभा

- यदि ग्रामसभा के कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत या 25 सदस्य, इसमें से जो कम हो, के द्वारा मौखिक या लिखित आवेदन पर अध्यक्ष से ग्रामसभा आयोजन की मांग करते है तो मांग के 07 दिनों के भीतर अध्यक्ष अनिवार्यतः ग्रामसभा बुलायेगा।

11. ग्रामसभा की सूचना

- ग्रामसभा की प्रत्येक बैठक की सूचना, बैठक की तारीख से 07 दिनों पूर्व सभी सदस्यों को दी जानी अनिवार्य है।
- बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, समय एवं तिथि के साथ चर्चा के विषय/कार्यसूची (एजेण्डा) को भी अनिवार्यतः शामिल किया जायेगा।
- यह सूचना सहज दृश्य स्थानों पर सूचना की प्रतियां चिपकाकर एवं डोंडी पिटवाकर दी जायेगी।

12. ग्रामसभा का कोरम/गणपूर्ति

किसी भी ग्रामसभा के आयोजन के लिये उस ग्रामसभा के सदस्यों में से तय निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थित होना अनिवार्य है। सदस्यों की इसी न्यूनतम संख्या को कोरम/गणपूर्ति कहते है।

- ग्रामसभा के कुल सदस्य संख्या का 25 फीसदी या 100, इसमें से जो संख्या कम हो।
- इस संख्या की एक–तिहाई महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है तभी कोरम पूरा होगा।
- कोरम पूरा नही होने पर ग्रामसभा का अध्यक्ष आगामी तारीख या समय के लिये ग्रामसभा को स्थगित कर देगा।
- दो स्थगित बैठकों में गणपूर्ति आवश्यक होगी। परंतु तीसरे स्थगित बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नही होगी।
- परंतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी एवं सामुदायिक संसाधन के संबंध में आयोजित ग्रामसभा की कोरम के अभाव में स्थगित हुई दो ग्रामसभाओं के बाद भी गणपूर्ति आवश्यक होगी। स्थगित बैठक में कम से कम 25 फीसदी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

13. ग्रामसभा की कार्यवाही

- ग्रामसभा में लिये गये निर्णयों को ग्रामसभा की कार्यवाही पंजी में दर्ज किया जायेगा।
- ग्रामसभा के सचिव के द्वारा बैठक समाप्ति के पूर्व लिखी गई कार्यवाही को सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया जायेगा।
- कार्यवाही पंजी में कार्यवाही लेखन के बाद ग्रामसभा के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे एवं सदस्यों की संख्या दर्ज की जायेगी।
- ग्रामसभा के इच्छुक सदस्य भी इस कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर कर सकते है।
- ग्रामसभा कार्यवाही की एक प्रति 03 दिवस के भीतर सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत को सौंपी जायेगी।

14. ग्रामसभा के निर्णयों पर कार्यवाही की जिम्मेवारी

- ग्रामसभा की सिफारिशों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगी। जिन कार्यों को पूरा करने का अधिकार क्षेत्र ग्राम पंचायत के पास नही है उसे संबंधित विभागों से करवायेगी।
- विभाग के अधिकारी/कर्मचारी ग्रामसभा में उपस्थित हो सकेंगे।

15. ग्रामसभा के निर्णयों के विरूद्ध आपत्ति

- यदि कोई व्यक्ति या शासकीय विभाग, ग्रामसभा के निर्णयों से असंतुष्ट है तो वह निर्णय के 15 दिवस के भीतर आपत्ति दे सकेगा।
- ऐसी आपत्ति पर 30 दिवस के भीतर ग्रामसभा द्वारा विचार किया जायेगा।
- अगर ग्रामसभा द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार नही किया जाता है तो व्यथित व्यक्ति जनपद स्तरीय समिति से जिसमें जनपद अध्यक्ष, उस क्षेत्र का जनपद सदस्य एवं एस. डी.एम. शामिल है, की जा सकेगी।

16. ग्रामसभा की शक्तियां

अनुसूचित क्षेत्र मतलब पेसा क्षेत्र की ग्रामसभाओं को मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों के अतिरिक्त निम्न शक्तियां प्राप्त है–

- व्यक्तियों की परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक पहचान एवं सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित करना।
- रूढ़िगत रीतियों के अनुसार विवादों का निराकरण करने की परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित करना।
- स्थानीय योजनाओं एवं अनुसूचित योजनाओं के व्ययों पर नियंत्रण रखना।

16.1 भूमि प्रबंधन

ग्राम के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिये ग्रामसभा अपने ग्राम में कृषि हेतु योजनायें बनाने में सक्षम होगी। ग्रामसभा अपने विभिन्न निर्णयों के साथ–साथ निम्न बिंदुओं पर जरूर ध्यान देगी ताकि ग्राम में किसानों का विकास हो सके–

- मिट्टी के कटाव की रोंकथाम
- फसलों को बचाने हेतु चराई के लिये नियम बनाना
- बर्षा जल का संचयन एवं कृषि सिंचाई हेतु वितरण
- आपसी सहयोग से बीज, खाद आदि की व्यवस्था करना
- जैविक खाद, जैविक उर्वरक एवं जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देना
- कृषि विभाग एवं ग्रामसभा द्वारा तैयार की गई योजना का क्रियान्वयन करना

16.2 भू–अभिलेखों का संधारण

ग्राम की सीमाओं से जुड़े सामुदायिक एवं निजी भूमि के प्रबंधन एवं संधारण की जिम्मेवारी भी ग्रामसभाओं को सौंपी गई है। वनभूमि एवं राजस्व भूमि के अभिलेखों को रखने वाले बीट गार्ड एवं पटवारी को ग्रामसभा के प्रति जबावदेह बनाया गया है।

- पटवारी एवं बीट गार्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में ग्राम की सीमा में आने वाले अघतन भू–अभिलेख जैसे–नक्सा, खसरा, बी–1 आदि ग्रामसभा को उपलब्ध करायेंगे।
- यदि ग्रामसभा किसी निजी या सामुदायिक भूमि में त्रुटि सुधार संबंधी अनुशंसा करती है तो अनुशंसा के 15 दिवस के भीतर पटवारी अपने सक्षम अधिकारी या बीट गार्ड को भेजेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा 03 माह के भीतर त्रुटि सुधार कर पटवारी के माध्यम से ग्रामसभा को सूचित किया जायेगा।
- शासकीय अथवा सामुदायिक भूमि के उपयोग परिवर्तन के पूर्व ग्रामसभा से परामर्श करना आवश्यक होगा।
- भूमि हस्तांतरण, पट्टा, कृषि अनुबंध, बिक्री, गिरवी या अन्य किसी कारण से भूमि स्वामी में परिवर्तन की सूचना ग्रामसभा को देनी होगी।
- ग्रामसभा को यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जनजाति की कोई भूमि शासकीय कार्यो के उपयोग, भू–अधिग्रहण, वैध उत्तराधिकार एवं अन्य विधिक प्रावधानों के बिना गैर–जनजाति व्यक्ति को हस्तांतरित न हो।

- अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि की नीलामी की दशा में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करने में ग्रामसभा पहल करेगी।
- यदि अनुसूचित जनजाति की कोई भूमि जो विधिक प्रावधानों को पूरा किये बिना गैर अनुसूचित जाति को अंतरित की गई है उसे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या उसके परिवार को वापस दिलाने हेतु पहल करेगी।
- यदि किसी भूमि जिस पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अधिकार है, ऐसी भूमि को गैर जनजाति व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करने के प्रयास हो रहे है उसे ग्रामसभा रोंकने की पहल कर सकेगी।
- भूमि को बंधक रखने के मामले में सम्यक प्रक्रिया के अधीन बंधक से मुक्ति दिलाने की कार्यवाही कर सकेगी।

16.3 भू–अर्जन के पूर्व परामर्श

- पेसा क्षेत्र में भू–अर्जन के समस्त मामलों में मध्यप्रदेश भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता नियम 2015 के अनुसार ग्रामसभा से परामर्श प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

16.4 कपट से अंतरित आदिम जनजाति की भूमि की वापसी

- यदि ग्रामसभा को यह मालुम होता है कि किसी आदिम जनजाति की कोई भूमि गैर आदिम जनजाति का सदस्य बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के कब्जे में लिया है तो ग्रामसभा ऐसी भूमि को आदिम जनजाति के परिवार को वापस करायेगी।
- यदि ग्रामसभा कब्जा हटाने में असमर्थ रहती है तो यह मामला उपखंड अधिकारी को भेजेगी। उपखंड अधिकारी 03 माह के भीतर कब्जा हटवाकर आदिम जनजाति को वापस दिलायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा उपखंड अधिकारी के न्यायालय में आये ऐसे प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जायेगी।

16.5 जल संसाधनों का प्रबंधन

पेसा क्षेत्र के किसी ग्रामसभा की सीमा में आने वाले ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित जल संरचनायें, जलासय जो तालाब, पोखर, डबरा–डबरी, झील या अन्य किसी नाम से जाने जाते है जिनका भराव क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर या सिंचाई क्षमता 40 हेक्टेयर तक हो उसका प्रबंधन एवं योजना निर्माण ग्रामसभा के द्वारा किया जायेगा।

- ऐसे जल संसाधनों पर ग्रामसभा का निर्णय सभी स्तर की पंचायतों के लिये बाद्धकारी होगा।
- ग्रामसभा का निर्णय ऐसे जल संसाधनों से सिंचाई, मत्स्य पालन, पेयजल आदि हेतु आवंटन या जल स्त्रोतों की निरंतरता/स्थायित्व से संबंधित हो सकते है।
- ग्रामसभा, ग्राम में उपलब्ध ऐसे जल संरचनाओं से पेयजल, निस्तार एवं सिंचाई को प्राथमिकता देगी।

16.5.1 मत्स्य पालन

- ग्रामसभा के क्षेत्र में स्थित 10 हेक्टेयर तक के जलासयों में मत्स्य पालन का नियंत्रण एवं निगमन करने के लिये ग्रामसभा निर्णय लेगी।
- स्थानीय परंपराओं के अनुसार मछलियों की उपलब्धता एवं प्रजातियों की विविधता को बनाये रखने हेतु ग्रामसभा मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगाने सक्षम होगी।

16.5.2 जल संसाधनों में प्रदूषण की रोंकथाम

- ग्राम क्षेत्र में स्थिति शासकीय, सामुदायिक या निजी जलासयों में किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोंकने हेतु ग्रामसभा निर्देश जारी कर सकेगी।

16.6 गौण खनिज पर नियंत्रण

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में गौण खनिजों को परिभाषित किया गया है। इन दोनो अनुसूचियों में वर्णित गौण खनिजों के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में प्रारंम्भिक चयन सर्वेक्षण या उत्खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व ग्रामसभा की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची–1 में वर्णित गौण खनिजों में प्रमुख रूप से निम्न है।

- ग्रेनाईट पत्थर, डोलेराईट एवं अन्य आतशी एवं रूपांतरित पत्थर जो कि स्लैब, ब्लाक्स, टाइल्स आदि बनाने के लिये कटिंग, पॉलिसिंग हेतु उपयोग में लाई जाती है।
- मार्बल जो स्लैब, ब्लाक्स, टाइल्स आदि बनाने के लिये कटिंग, पॉलिसिंग हेतु उपयोग में लाई जाती है।
- अन्य कामों में उपयोग किया जाने वाला मार्बल पत्थर

- चूना पत्थर जो कि भवन निर्माण सामग्री के निर्माण हेतु भट्ठों में उपयोग किया जाता है।
- प्राकृतिक तलछटी चट्टाने जो कि फर्स एवं छत के उपर उपयोग की जाती है।
- क्रेसर द्वारा गिट्टी बनाने वाला पत्थर
- मुल्तानी मिट्टी आदि

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची–2 में वर्णित गौण खनिज इसप्रकार है–

- सामान्य बालू, बजरी
- ईट, टाइल्स, पॉट बनाने हेतु प्रयुक्त होने वाली चिकनी मिट्टी
- पत्थ के बोल्डर, सड़क निर्माण हेतु गिट्टी, ढ़ोका, खांडा, मलवा आदि
- ग्रेवल/कंकड
- रेह मिट्टी, भट्ठे में उपयोग किया जाने वाला चूने का खोल
- स्लेट जो भवन निर्माण में उपयोग होता है।
- क्वार्टजाईन या क्वार्टजिटिक रेत जो कि भवन निर्माण, सड़क निर्माण या घरेलू बर्तन निर्माण में उपयोग होता है।
- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची में वर्णित गौण खनिज बिंदु 04 से 07 एवं अनुसूची–2 में वर्णित गौण खनिज (बिंदु 01 को छोंडकर) का उत्खनन पट्टा स्वीकृत करने में अनुसूचित जनजाति की सहकारी समिति, महिला आवेदक या अनुसूचित जनजाति के पुरूष को उनके संवर्ग में प्राथमिकता दी जायेगी।
- खनिज विभाग द्वारा संबंधित ग्रामसभाओं को उनके क्षेत्र में स्थित खनिज के उत्खनन पट्टा एवं नीलामी की जानकारी प्रदान की जायेगी।

16.7 गौण वनोपज पर अधिकार

वनाधिकार अधिनियम 2006 में गौण वनोपज को परिभाषित किया गया है। गौण वनोपज में मुख्य रूप से–बांस, झाड़, झंखाड़, ठूंठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद मोम, लाख, तेंदू या तेंदू पत्ते, औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियां, कंद, मूल एवं इसी तरह के अन्य उत्पाद शामिल है।

- गौण वनोपज के प्रबंधन के लिये ग्रामसभा अपने सदस्यों में से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन कर सकेगी।
- यह समिति गौण वनोपज के प्रबंधन के लिये सूक्ष्म प्रबंध योजना बना सकेगी। ऐसी योजना तैयार करने हेतु ग्रामसभा वन विभाग से परामर्श ले सकेगी।

- ग्रामसभा इस सूक्ष्म प्रबंध योजना के माध्यम से गौण वनोपज का समुचित दोहन, जैव विविधता तथा जैविक स्त्रोतों का रक्षण एवं संवर्धन कर सकेगी।
- गौण वनोपज सीमित होने पर ग्रामसभा, ग्राम सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों को वनोपज का संग्रहण करने से प्रतिबंधित कर सकेगी।
- कमजोर एवं भूमिहीन परिवारों को चक्रीय क्रम में वनोपज संग्रहण हेतु प्राथमिकता दे सकेगी।
- ग्रामसभा अपने क्षेत्र के भीतर स्वयं या ग्रामसभा की समिति द्वारा या राज्य शासन की एजेंसी के द्वारा वनोपज का संग्रहण एवं विपणन कर सकेगी।
- एक या एक से अधिक ग्रामसभा चाहें तो वन विभाग के परामर्श से संयुक्त रूप से वनोपज का न्यूनतम मूल्य पर संग्रहण एवं विपणन कर सकेगी।
- ग्रामसभा चाहे तो तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी। इसके लिये ग्रामसभा को 15 दिसम्बर तक संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत कराना होगा।

16.8 वनो का संरक्षण

- वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्राम क्षेत्र के वनों के संरक्षण की जिम्मेवारी ग्रामसभा की होगी।
- वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन का कार्य ग्रामसभा द्वारा गठित वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से कर सकेगी। इस काम में शासन के समस्त विभाग सहायता करेंगे।
- परिवार एवं सामुदायिक जरूरतों जैसे चराई, निस्तार, जलावन, कृषि उपकरण बनाने हेतु सूखी एवं मरी हुई लकड़ी, बांस तथा पारंपरिक संस्कार में लगने वाले पदार्थों आदि को वन से निकालने में ग्रामसभा व्यवस्था करेगी।
- प्रत्येक ग्रामसभा या ग्रामसभाओं का समूह अपने क्षेत्र के वनों के सुधार, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार एवं स्थानीय रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम बनायेगी।

16.9 धन उधार देने पर नियंत्रण

- अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का कारोबार करने वालों को मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी नियम 1992 के अनुसार लाईसेंस लेना होगा।

- साहूकारी लाईसेंस जारीकर्ता अधिकारी लाईसेंस की एक प्रति ग्राम पंचायत सचिव को उपलब्ध करायेगा। सचिव के द्वारा अनिवार्यतः इसकी जानकारी ग्रामसभा को बतानी होगी।
- साहूकार का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा दिये गये एवं चुकाये गये ऋण की ग्रामवार जानकारी प्रत्येक माह उपखंड अधिकारी को देनी होगी। उपखंड अधिकारी द्वारा यह जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामसभा को देनी होगी।
- साहूकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पर ग्रामसभा विचार करेगी। शिकायत उपर्युक्त पाये जाने पर उपखंड अधिकारी को यथोचित जांच एवं कार्यवाही हेतु अनुसंशित करेगी।
- उपखंड अधिकारी यथोचित जांच एवं कार्यवाही पश्चात ऐसी अनुशंसा की रिपोर्ट 45 दिवस के भीतर ग्रामसभा को देगी।

16.10 कर्मचारियों पर नियंत्रण

- ग्रामसभा सामाजिक एवं स्थानीय क्षेत्रों में चल रही सभी वार्षिक, सामाजिक योजनाओं जैसे कि शैक्षणिक संस्थायें, छात्रावास, आंगनवाड़ी आदि का समय–समय पर निरीक्षण, पुनरीक्षण करने हेतु सक्षम होगी।
- सामाजिक क्षेत्र में चल रही योजनाओं एवं संस्थाओं के निरीक्षण हेतु ग्रामसभा तदर्थ समिति बना सकेगी। ये समितियां ग्रामसभा को रिपोर्ट सौंपेंगी।
- शालाओं, छात्रावासों एवं आश्रमों के निरीक्षण हेतु गठित तदर्थ समिति में शाला प्रबंधन समिति के दो सदस्य शामिल किये जायेंगे जिसमें से एक महिला सदस्य होगी।
- विभिन्न योजनाओं के तहत जिन हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है उसकी सूची त्रैमासिक रूप से ग्रामसभा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जायेगी। यदि ऐसी सूची से कोई जरूरतमंद व्यक्ति छूट रहा है तो ग्रामसभा संबंधित व्यक्ति को लाभ देने हेतु निर्देशित करेगी।
- यदि किसी योजना में हितग्राहियों को चयनित किया जाता है तो ग्रामसभा हितग्राहियों का चयन एवं उसकी प्राथमिकता तय करने में सक्षम होगी।
- संबंधित हितग्राहियों को ग्रामसभा में चयन के बाद ही लाभ दिया जा सकेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना पर ग्रामसभा से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। ग्राम सभा इसमें आवश्यक बदलाव कर सकती है।
- सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का ब्योरा त्रैमासिक रूप से ग्रामसभा में प्रस्तुत करना होगा।

16.10.1 महिला एवं बाल विकास

- आंगनवाड़ी, उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में गठित मातृ सहयोगिनी समिति/ उप समिति में नामांकित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन उपरांत ग्रामसभा से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- ऐसी समिति में कम से कम 50 फीसदी सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे।
- समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य होगी।
- ग्रामसभा अपनी मातृ सहयोगिनी समिति के माध्यम से आंगनवाड़ी में संचालित समस्त योजनाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, त्रैमासिक समीक्षा एवं सामाजिक अंकेक्षण करने में सक्षम होगी।

16.10.2 अन्य कार्य

- ग्रामसभा यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यस्थल पर कार्य का विवरण स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाये।
- कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता बनी रहे।
- मजदूरों को उनकी मजदूरी मौखिक रूप से बताई गई हो एवं उसे सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित किया गया है।

16.11 मादक पदार्थों पर नियंत्रण

- अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों के संबंध में शासन द्वारा जारी निषेधाज्ञा/रोंक की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो ग्रामसभा उस पर 1000 रू0 तक का जुर्माना लगा सकती है।
- देशी/विदेशी शराब की नई दुकान खोलने के मामले में विहित अधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर ग्रामसभा को अपनी अनुमति देनी होगी। यदि ग्रामसभा अनुमति नही देती तो उस क्षेत्र में नई दुकान नही खोली जायेगी।
- ग्रामसभा अपने ग्राम क्षेत्र में संचालित शराब दुकान के स्थान परिवर्तन की अनुशंसा कर सकेगी। इस अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- ग्रामसभा, किसी त्यौहार के अवसर पर उस दिन आंशिक या पूर्ण दिवस के लिये संचालित शराब दुकान बंद करने की अनुशंसा कर सकेगी। कलेक्टर ग्रामसभा की अनुशंसा पर आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा।

- ग्रामसभा, किसी सार्वजनिक स्थल पर शराब/भांग का उपयोग प्रतिबंधित कर सकेगी।
- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–16 के अधीन तय मादक पदार्थों के व्यक्तिगत आधिपत्य की सीमा को कम कर सकेगी।
- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–61 (घ) में दर्ज अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति उपयोग के लिये 4.5 लीटर एवं परिवार के लिये 15 लीटर तथा किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 45 लीटर प्रति परिवार शराब निर्माण एवं उपयोग की सीमा को कम कर सकेगी।

16.12 श्रमशक्ति की योजना

- **कन्वर्जेंस/अभिशरण**–केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अभिशरण से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण कर सकेगी।
- **मस्टर रोल**–कार्य में उपयोग होने वाले मस्टर रोल की जानकारी कार्य शुरू होने के पहले दिन ग्रामसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। मस्टर में फर्जी नाम पाये जाने पर उसमें सुधार किया जायेगा।
- **पलायन**– ग्राम से बाहर काम करने जाने वाले सभी व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति एवं शर्तों की पूरी जानकारी ग्रामसभा को उपलब्ध करायेंगे। जिनका संधारण विहित रीति से किया जायेगा।
- प्रवासी श्रमिकों की समस्या प्राप्त होने पर शांति एवं विवाद निवारण समिति संबंधित विभागों से संपर्क कर समस्या का निराकरण करेगी।
- ग्रामसभा यह प्रयास करेगी कि शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु बनाई गई योजनाओं, कानूनी प्रावधान, विधिक सहायता का ज्यादा से ज्यादा लाभ श्रमिकों को मिले।

16.13 मजदूरी निर्धारण

- नियत मजदूरी दर को सार्वजनिक स्थल पर एक सूचना बोर्ड में प्रदर्शित किया जायेगा।
- यदि किसी संस्था या निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर अथवा व्यक्ति की श्रम क्षमता से कम दर पर अनुबंध किया जाता है या न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर पर भुगतान किया जाता है तो इसकी शिकायत प्राप्त होने पर शांति एवं विवाद निवारण समिति कार्यवाही करेगी।

16.17 सिंचाई

- 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाबों का सिंचाई में उपयोग एवं प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को है।
- यदि सिंचाई प्रबंधन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ग्रामसभा के समक्ष रखा जायेगा। ग्रामसभा स्तर से निराकरण नही होने पर प्रकरण को कलेक्टर को प्रेषित किया जायेगा।

17. ग्राम पंचायत की शक्तियां एवं कार्य

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम में वर्णित शक्तियों एवं कार्यों के अतिरिक्त पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के निम्न कृत्य है–

- ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाजारों, मेलों का चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाते हों जिसमें पशु मेले भी शामिल है, उसका प्रबंधन करने की शक्ति है।
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दी गई शक्तियों एवं कृत्यों का निर्वहन करना।

18. ग्राम पंचायत की निधि

- पूर्व की भांति ग्राम पंचायत की एक निधि होगी जो स्थानीय बैंक खाते के माध्यम से संचालित होगी।
- ग्राम पंचायत निधि के खाते में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।
- ग्राम पंचायत निधि से रकम के आहरण के पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्यों के बहुमत से ऐसा संकल्प पारित होना अनिवार्य है।
- ग्राम पंचायत निधि से किये गये खर्चों एवं राशि के उपयोग के ब्योरे को आगामी ग्रामसभा के समक्ष रखना अनिवार्य है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ग्राम पंचायत का बजट ग्रामसभा में रखना अनिवार्य है। ग्रामसभा द्वारा की गई किसी अनुसंशा को बजट में समावेश करने के बाद ही कार्यान्वयन किया जायेगा।
- प्रत्येक 03 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये खर्च का प्रमाणन ग्रामसभा से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

19. ग्रामसभा की निधि

पेसा क्षेत्र की प्रत्येक ग्रामसभा की एक निधि होगी। यह निधि निम्न स्त्रोतों से मिलकर बनेगी।

- **अन्न कोष**– कोई भी व्यक्ति ग्राम के विकास हेतु अन्न का दान कर सकता है। इस कोष से ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार किसी जरूरतमंद को अन्न कोष से ऋण दिया जा सकता है। ऋण वापसी की समय सीमा ग्रामसभा द्वारा तय की जायेगी।
- **श्रम कोष**– ग्रामसभा अपने ग्राम में स्वैच्छिक श्रम को संगठित कर अतिरिक्त संसाधन जुटा सकती है। इसके लिये ऐसे व्यक्तियों को पंजीकृत करेगी जो ग्राम के विकास के लिये स्वैच्छिक श्रम का दान करने के इच्छुक है।
- **वस्तु कोष**– ग्रामसभा एक वस्तु कोष की स्थापना करेगी जिसमें ग्रामसभा के सदस्यों या अन्य स्त्रोतों से वस्तुयें प्राप्त कर सकती है। अभिलेख में प्राप्त वस्तु के स्थानीय मूल्य को दर्शाया जायेगा।
- **नगद कोष–** स्थानीय बैंक में खाता खोलकर नगद कोष का प्रबंधन किया जायेगा। इस खाते में ग्रामसभा द्वारा अधिरोपित किये गये विभिन्न करों से प्राप्त राशि के अलावा ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित राशि जमा की जायेगी।

ग्रामसभा के सचिव के द्वारा सभी कोषों का तय प्रपत्रों में अभिलेख तैयार किये जायेंगे।

19.1 ग्राम सभा निधि का संचालन

प्रत्येक ग्रामसभा द्वारा अपने सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन करेगी जिनके संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा निधि का संचालन किया जायेगा।

- ग्रामसभा द्वारा चयनित दो ग्रामसभा सदस्यों में से एक महिला सदस्य होगी। इन सदस्यों में कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि या उनके परिवार का सदस्य नही होगा।
- ग्रामसभा के द्वारा संकल्प पारित करने के बाद ही निधि से राशि निकाली जा सकती है।
- आहरण या खर्च में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो इसकी संयुक्त जिम्मेवारी संयुक्त हस्ताक्षर करने वालों की होगी।
- सचिव, ग्रामसभा के द्वारा ग्राम सभा निधि से जुड़े समस्त अभिलेख तैयार किये जायेंगे।

20. शांति एवं विवाद निवारण समिति

प्रत्येक ग्राम में शांति की स्थापना करने एवं अपनी परंपराओं के अनुसार विवादों के निपटाने के लिये ग्रामसभा द्वारा शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया जाना है।

- समिति में 05 से 07 सदस्य हो सकते है।
- एक तिहाई महिलायें होंगी एवं ग्राम में जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में जनजातियों के सदस्य होंगे।
- ग्राम सभा के सचिव के द्वारा ग्राम में शांति एवं विवाद निवारण समिति के गठन की सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी जायेगी।
- यह समिति अपनी परंपराओं के अनुसार ग्राम में विवादों का निपटान करेगी तथा ग्राम में शांति बनाये रखने के लिये काम करेगी।
- असंतुष्ट होने पर इस समिति के निर्णय के विरूद्ध ग्रामसभा में अपील की जा सकती है।
- प्रत्येक ग्रामसभा की शांति एवं विवाद निवारण समिति के अभिलेखों का संधारण समिति के सचिव द्वारा किया जायेगा।
- स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) होने पर शांति एवं विवाद निवारण समिति को सूचित किया जायेगा।

21 संलग्नक– आवश्यक प्रपत्र

21.1 प्रपत्र–1 बसाहटों/टोलों/फलियों की अलग ग्रामसभा हेतु प्राप्त आवेदन पर उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रपत्र

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्र–1 सन् 1994) की धारा 129–ख की उपधारा (2) के साथ पठित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य का संचालन) नियम 1998 के नियम–4 के उपनियम (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये विहित अधिकारी (उप खंड अधिकारी राजस्व) नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में वर्णित (ग्राम/ग्रामों के समूह/मजरा/टोला/फलिया आदि के लिये) पृथक ग्रामसभा के गठन के आशय की जानकारी एतद् द्वारा प्रकाशित करता है।

उन आपत्तियों या सुझावों पर, जो दिनांक.....तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हो, विचार किया जायेगा और उक्त तारीख के अवसान होने के पूर्व प्राप्त आपत्तियों, दावों, सुझावों पर दिनांक.....को कार्यालय में सुनवाई की जायेगी।

सारणी

विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विधमान ग्रामसभा में	प्रस्तावित ग्रामसभा				
			ग्रामसभा का	ग्रामसभा में सम्मिलित क्षेत्र	जनसंख्या	पटवारी हल्का	अन्य ब्योरा

		सम्मिलित क्षेत्र	अनुक्रमांक	(मजरा, टोला, पारा, फलिया)		क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान..... विहित अधिकारी

जारी करने का दिनांक..... (उपखंड अधिकारी, राजस्व)

21.2 प्रपत्र–2 उपखंड अधिकारी, राजस्व द्वारा ग्रामसभा गठन की अधिसूचना

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्र–1 सन् 1994) की धारा 129–ख की उपधारा (2) के साथ पठित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य का संचालन) नियम 1998 के नियम–4 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये विहित अधिकारी (उप खंड अधिकारी राजस्व) नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) में वर्णित क्षेत्र के लिये ग्रामसभा (सभाओं) का गठन करते है जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आयेगी।

सारणी

विकासखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विघमान ग्रामसभा में सम्मिलित क्षेत्र	नवगठित ग्रामसभा				
			ग्रामसभा का अनुक्रमांक	ग्रामसभा में सम्मिलित क्षेत्र (मजरा, टोला, पारा, फलिया)	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक	अन्य ब्योरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान..... विहित अधिकारी

जारी करने का दिनांक..... (उपखंड अधिकारी, राजस्व)